

महापौर परिषद की बैठक में सफाई, स्ट्रीट लाइट, मांगलिक भवन संचालन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, स्ट्रीट लाइट के संधारण, विज्ञापन बोर्ड, आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों के अंतरण, मांगलिक भवन के संचालन तथा जलभराव और प्रदूषित जल की समस्या के समाधान सहित मैदान, मार्ग, डोमशेड, डामरीकरण एवं नाली निर्माण पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर परिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करते हुए संबंधित कार्यों के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में जोन क्रमांक-03 अंतर्गत संतोषी पारा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन को संचालन, प्रबंधन एवं संधारण के लिए 10 माह की अवधि हेतु दिए जाने के प्रस्ताव को सहमति दी। इस पहल का उद्देश्य मांगलिक भवन का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा नागरिकों को सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारण नियम, 2021 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भवन एवं भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण किए जाने के विषय पर भी चर्चा की गई। संपत्तियों के मूल्य निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव पर परिषद के सदस्यों ने सहमति दी। प्रचलित दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एसएलआरएम सेंटरों में एकत्रित कचरे के पृथक्करण तथा गीले कचरे से खाद तैयार करने के कार्य पर चर्चा पश्चात स्वीकृति प्रदान की गई। कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने, गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग करने तथा गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने में करने से स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे कचरे के उचित निपटान और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

निगम क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए विभिन्न सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगी स्ट्रीट लाइटों के वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव कार्य पर विचार किया गया। शहर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था बनाए रखना नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियमित रखरखाव और खराब लाइटों को दुरुस्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया निगम के विभिन्न क्षेत्रों में सातवें चरण के अंतर्गत रिक्त 111 आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों के अंतरण के लिए निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर परिषद में चर्चा की गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से निगम की रिक्त संपत्तियों के अंतरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। नगर निगम क्षेत्र के 52 1/2 वार्डों की साफ-सफाई व्यवस्था के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कामगार उपलब्ध कराने के विषय को भी बैठक में शामिल किया गया। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नियमित एवं प्रभावी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता तथा सफाई कार्यों के बेहतर संचालन पर चर्चा की गई।

शहर में जलभराव की समस्या को दूर करने, प्रदूषित जल से संबंधित परेशानियों का समाधान करने तथा जल संरक्षण के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से जल रक्षा उपायों के अंतर्गत महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसके लिए आईआईटी भिलाई के साथ अनुबंध कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार कराने तथा उसे शासन को प्रेषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस पहल का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से जल निकासी, जल

प्रदूषण की समस्या और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की बेहतर योजना तैयार करना है। बैठक में उपरोक्त विषयों के अलावा महापौर की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। महापौर परिषद के सदस्यों ने नागरिक सुविधाओं में सुधार, शहर के विकास तथा निगम की विभिन्न व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहमति प्रदान की।

वार्ड क्रमांक 28 प्रेम नगर स्थित चैता मैदान का नाम परिवर्तित कर स्वर्गीय श्री भगवान राय स्मृति चैता मैदान किए जाने पर सहमति दी गई। इसी प्रकार, 18 नंबर रोड से मुक्तिधाम तालाब तक जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर स्वर्गीय विजय प्रकाश यादव छठ घाट मार्ग रखने के प्रस्ताव को भी सहमति प्रदान की गई। इन नामकरण प्रस्तावों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति को सम्मान देने की पहल की गई है। वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर में परशुराम चौक के पास प्रस्तावित डोमशेड निर्माण कार्य के स्थल में परिवर्तन करने पर भी सहमति बनी। अब यह निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 25 स्थित लाल पानी टंकी परिसर में कराया जाएगा। स्थल परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्माण कार्य को नए स्थल पर कराए जाने की सहमति दी गई इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 44 में अधोसंरचना मद से स्वीकृत छह विकास कार्यों के स्थल परिवर्तन किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इन कार्यों के स्थल परिवर्तन का उद्देश्य स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21 कैलाश नगर में विद्युत पोल क्रमांक 21/340 से 21/347 तक तथा वार्ड क्रमांक 23 घासीदास नगर स्थित अटल आवास मार्ग पर डामरीकरण एवं नाली निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की गई। इन कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में सड़क की स्थिति बेहतर बनाने और जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, केशव चौबे, चंद्रशेखर गंवई, नेहा साहू एवं मालती ठाकुर उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, उपायुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कुलदीप गुप्ता, येशा लहरे, कार्यपालन अभियंता सुनील जैन, संजय वर्मा, अनिल सिंह, अरविंद शर्मा, अजय गौर, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, राजेश पालवे, पलाश वैद्य एवं देवव्रत राजपूत सहित निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

